न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 428/2024
अनवान : –

1. शर्मिला पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी महेन्द्र जाति मेघवाल निवासी मालीया तहसील नोहर।

– **वादीया**

बनाम्

1. कृष्णकुमार पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. मैनादेवी पत्नी डुंगरराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. सुनील पुत्र डुंगरराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. रमेश पुत्र डुंगरराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. पंजाब नेशनल बैक शाखा परलीका तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक रामगढ़/नोहर तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

8. जमना पत्नी महेन्द्रसिंह हाल पत्नी मनीराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता **वादीया**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 22/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 42/42 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 18 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 33/33 की कुल 4.5520 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता स0 43/43 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि बृजलाल पुत्र पेमाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीया व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बृजलाल पुत्र पेमाराम के नाम दर्ज है जो की वादीया का दादा है। बृजलाल पुत्र पेमाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा की एक पुत्री कलावती का भी देहांत हो चुका है तथा उनके पुत्र महेन्द्रसिंह व डुंगरराम का भी देहान्त हो चुका है। महेन्द्र सिंह के जायज वारिसान वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 8 है एवं डुंगरराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 है। महेन्द्रसिंह पुत्र बृजलाल के फौत होने पर उनकी पत्नी जमना ने दुसरी शादी कर ली जिससे प्रतिवादीया संख्या 8 का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही रहा है। बृजलाल पुत्र पेमाराम के फौत होने के उनके जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:07:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

4 है। वाद भूमि में 1/6 हिस्सा वादीया का व 1/18 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 तथा 1/18 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का बहिब हक हिस्सा है। इसी अनुसार वादीया न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादीया ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 2 आरएमएस सम्वत 2071–74 खाता स0 42/42, जमाबंदी रोही मौजा 18 एनटीआर सम्वत 2073–76 खाता स0 33/33, जमाबंदी रोही मौजा 15 एनटीआर ए सम्वत 2076–79 खाता स0 43/43, मृत्यु प्रमाण महेन्द्र सिंह व बृजलाल पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीया के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादीया व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बृजलाल पुत्र पेमाराम के नाम दर्ज है जो की वादीया का दादा है। बृजलाल पुत्र पेमाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा की एक पुत्री कलावती का भी देहांत हो चुका है तथा उनके पुत्र महेन्द्रसिंह व डुंगरराम का भी देहान्त हो चुका है। महेन्द्र सिंह के जायज वारिसान वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 8 है एवं डुंगरराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 है। महेन्द्रसिंह पुत्र बृजलाल के फौत होने पर उनकी पत्नी जमना ने दुसरी शादी कर ली जिससे प्रतिवादीया संख्या 8 का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही रहा है। बृजलाल पुत्र पेमाराम के फौत होने के बाद उनके जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये स[illegible] वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है। वाद भूमि में 1/6 हिस्सा वादीया का व 1/18 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 तथा 1/18 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का बहिब हक हिस्सा है। [illegible]वादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:07:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीा ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीया के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 42/42 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 18 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 33/33 की कुल 4.5520 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता स0 43/43 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि बृजलाल पुत्र पेमाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीया का कथन है कि वाद भूमि वादीया व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बृजलाल पुत्र पेमाराम के नाम दर्ज है जो की वादीया का दादा है। बृजलाल पुत्र पेमाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा की एक पुत्री कलावती का भी देहांत हो चुका है तथा उनके पुत्र महेन्द्रसिंह व डुंगरराम का भी देहान्त हो चुका है। महेन्द्र सिंह के जायज वारिसान वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 8 है एवं डुंगरराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 है। महेन्द्रसिंह पुत्र बृजलाल के फौत होने पर उनकी पत्नी जमना ने दुसरी शादी कर ली जिससे प्रतिवादीया संख्या 8 का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही रहा है। बृजलाल पुत्र पेमाराम के फौत होने के बाद उनके जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है। वाद भूमि में 1/6 हिस्सा वादीया का व 1/18 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 तथा 1/18 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का बहिब हक हिस्सा है, वादीया के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नही है। वादीया द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार मृतक बृजलाल के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 42/42 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 18 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 33/33 की कुल 4.5520 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता स0 43/43 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि बृजलाल पुत्र पेमाराम के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:47:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजस्व रिकार्ड है, में मृतक बृजलाल पुत्र पेमाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को 1/18 हिस्सा भूमि का व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/18 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब 1/18 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 22/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:07:27 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 428/2024

अनवान : –

1. शर्मिला पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी महेन्द्र जाति मेघवाल निवासी मालीया तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. कृष्णकुमार पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. मैनादेवी पत्नी डुंगरराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. सुनील पुत्र डुंगरराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. रमेश पुत्र डुंगरराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. पंजाब नेशनल बैक शाखा परलीका तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक रामगढ़/नोहर तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

8. जमना पत्नी महेन्द्रसिंह हाल पत्नी मनीराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 428 सन 2024 निर्णय दिनांक 22/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री हवासिंह पूनिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 42/42 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 18 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 33/33 की कुल 4.5520 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता स0 43/43 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि बृजलाल पुत्र पेमाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक बृजलाल पुत्र पेमाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को 1/18 हिस्सा भूमि का व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/18 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब 1/18 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:07:27 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर